Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.-50/21/ सी.आई.एस. क्र.-50/21

अशोक मेहता बनाम अरुण मेहता एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
2 3/10 //24	वादी एवं प्रतिवादिगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 26 नियम 9 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिनांक 10 मई 2024 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित हुए । उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी के द्वारा यह वाद विभाजन हेतु लाया गया है परंतु वाद के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या एक अरुण कुमार मेहता ने वाद भूमि को कपट पूर्ण तरीके से प्रतिवादी सं. 9 ,10,11,12,13 ,14 को विक्रय कर दिए हैं। समन प्राप्ति के पश्चात प्रतिवादी संख्या-1,9,10 एवं 11 वादभूमि पर पक्का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए हैं जिस कारण से उक्त वाद भूमि का भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है अतः विनम्र निवेदन है कि अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर भौतिक सत्यापन किए जाने की कृपा की जाए। प्रतिवादी गण की और से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर न प्रस्तुत कर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है की उनके द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। उभय पक्ष को सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है की वादी के द्वारा यह वाद विभाजन हेतु लाया गया है एवं वादी का कथन है कि प्रतिवादी गण वादभूमि पर पक्का निर्माण कर वादभूमि के स्वरुप को बदलने का प्रयास कर रहे है ऐसी दशा में वाद भूमि का भौतिक सत्यापन कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है अत : वादी के उक्त आवेदन को स्वीकृत कर वादभूमि के भूमि के भौतिक सत्यापन हेतु अधिवक्ता श्री संजय कुमार को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है की वह अधिवक्ता आयुक्त खर्च 1500 रुपया जमा कर रसीद एवं रिट की प्रति प्रस्तुत करे। वाद दिनांक 21/11/24 को अगर कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित- असैनिक न्यायाधीश(व.को.) बनमनखी, पूर्णिया	